

नंबर

मय उपखण्ड

अधिकारी

कठूमर जिला अलवर

धिवक्ता का

2/353/22

तारीख रजु 26/12/22

बनाम

मोनु

विजय वगैरा

रीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
----------	-----------------------------------	--

26.12.2022

वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायला ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।

अतः उभयपक्षकारान् को जर्जे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी/जबाव पेश होने तक पाबंद किया जाता है कि विवादीत आराजीयात खसरा नम्बर 937, 938, 939, 940, 942, 948, 949, 950, 951, वाके ग्राम अरूवा तहसील कठूमर की रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर बकिल प्रार्थीगण अनिर्वात बहस करनी होनी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावेगा।

अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 12.01.2023 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि० डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 12.01.2023 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

51.1.23

प्रकार की आज मूल वाद के सिविल आर.पी. के प्रांति-पत्र
व उपलब्ध रिकॉर्ड पेश करके व मूल आर.पी. के आदेश
पेश करे अति म.र.प. के अतीत में प्रस्तावित
आदेश को खिले कि म.र.प. के आदेश व प्रस्तावित
की अज्ञात कि म.र.प. के आदेश व प्रस्तावित
प्रकार की आज मूल वाद के सिविल आर.पी. के प्रांति-पत्र
आवेदन पत्र के अति म.र.प. के आदेश व प्रस्तावित
पत्रावली के म.र.प. के आदेश व प्रस्तावित
मूल वाद के सिविल आर.पी. के प्रांति-पत्र

मोनु
प्रांति-पत्र

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०